

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवा नि./अलेसे -III/8257-53 दिनांक :- 11.6.15.

आदेश

विभाग के पूर्व आदेश संख्या 132/2014-15 दिनांक 05.01.2015 के संशोधन में उक्त आदेश के क्र.सं. 11 पर अंकित श्री रमेश चन्द गोयल, जो कनिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, कोटा में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.07.2015 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रमेश चन्द गोयल के विरुद्ध आज तक :-

- (1) राजस्थान विविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान विविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवा नि./अलेसे -III/8257-63 दिनांक :- 11.6.15.

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिंत :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
3. परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रस्तावित हो तथा ऐसी कोई शिकायत हो, जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना पेंशन कार्यालय व इस विभाग को भिजवावे ताकि यथासमय उचित कार्रवाई की जा सके।
4. श्री रमेश चन्द गोयल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, अनुसूचित जाति/जनजाति निगम, कोटा।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट हेतु)।
8. निजी गार्ड फाईल।


(जसवन्त सिंह)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)